तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जे.पी.माथुर, अभिभाषक प्रार्थी श्री सोहनपालसिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** हस्तगत् दोनों निगरानियां याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। चूंकि उक्त दोनों प्रकरणों में पक्षकारान, तथ्य तथा विषयवस्तु एक समान है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया गया है। अतः हमारे द्वारा भी उक्त दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक पृथक संलग्न की जावे। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थी वादी ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उप जिला कलेकटर बामनवास के यहां बाबत विवादित आराजी पेश किया। न्यायालय उप जिला कलेक्टर कलेक्टर बामनवास ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 अपने निर्णय दिनांक 29–8–05 द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां पेश की। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 29–5–2016 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि परीक्षण न्यायालय ने दावे में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा साबित करने पर अप्रार्थीगण का ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया था। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर प्राथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। खसरा नंबर 520 में से 17 ऐयर भूमि अप्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	लक्ष्मीचद ने प्रार्थी को दे दी। उसके बदले आराजी खसरा नंबर 523 में से 17 एयर भूमि प्रार्थी ने लक्ष्मीचंद को दे दी। तब से ही पक्षकार अपनी इस अदला बदला की गई आराजी पर काबिजकाश्त चले आ रहे है। चूंकि प्रार्थी ने इस भूमि पर कुंआ खुदवा लिया है तथा भूमि की कीमते बढ गई तो अप्रार्थी की नियत में बेईमानी आ गई तथा उसकी आराजी में दखलदांजी कर रहा है तथा प्रार्थी का विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देता है। प्रार्थी ने विवादित आराजी को जरिये पंजीकृत बयनामा हरसहाय, रामजीलाल, मदनलाल पिसरान जयनारायण से खरीद की है। अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रावधानों का प्रयोजन ही वादग्रस्त भूमि को दावे के निर्णय तक सुरक्षित रखना होता है, अगर वादग्रस्त भूमि को ही सुरक्षित नहीं रखा गया तो वाद में निर्णय क्या होगा। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने विवादित आराजी पर प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या कब्जा, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी के पक्ष में ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों को समझे बिना ही अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रतिउत्तर बहस में कहा कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। जबतक जमाबंदियों की प्रविष्टीयां को निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक हमारे पक्ष में हो रही इन प्रविष्टि के विपरीत प्रार्थी को किसी प्रकार के हक हकूक हासिल नहीं हो सकते। प्रार्थी द्वारा जो अदला बदला किये जाने सबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया है वह दो रूपये के स्टाम्प पर लिखा गया अपंजिकृत दस्तावेज है, जो कानूनन कोई महत्व नहीं रखता। ट्रांसफर ऑफ प्रोपट्री एक्ट के तहत अपंजीकृत दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता। विवादित आराजी हमारे द्वारा क्रय की जाकर हमारे पक्ष में नामांतरकरण तस्दीक हुआ है। परीक्षण न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की थी जिसे अपीलीय न्यायालय ने सही निरस्त किया है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं दोनों आलोच्य निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय में यह निष्कर्ष अंकित किया कि विवादित आराजीयात को अदला–बदली करने की विशिष्ट प्रकिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 व 41 निर्धारित है। जिसकी पालना वर्तमान प्रकरण में नहीं की गई है। अदला बदली को सिद्ध करने के लिये प्रार्थी द्वारा 2 रूपये के स्टाम्प पर लिखे गये पंच फैसले की फोटो प्रति पेश की है, जो कि एक अपंजिकृत दस्तावेज है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक साक्ष्य के रूप में ग्राहय योग्य दस्तावेज नहीं है तथा इस तथाकथित दस्तावेज पर लक्ष्मीचंद के हस्ताक्षर भी नहीं है। अप्रार्थी लक्ष्मीचंद विवादित आराजी का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। उक्त वर्णित आधारों पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उपखंड अधिकारी बामनवास द्वारा पारित ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त किया है। निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी के सबंध में पक्षकारान के मध्य विवाद है और निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुरूप पक्षकरान के हक, हकूक एवं स्वत्वों का विनिश्चयन लम्बी न्यायिक प्रक्रिया अनुसार मूल वाद के गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना अभी शेष है। वर्तमान अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या कब्जा, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू को ही देखा जाना होता है। उक्त तथ्य को अपीलीय न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर विस्तृत विवेचन के साथ अपना निर्णय पारित किया है। अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थीगण की अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि उपखंड अधिकारी बामनवास द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निगरानी अधीन आदेश दिनांक 29–5–2006 में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी खारिज किये जाने योग्य हैं।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परिणामतः हस्तगत दोनों निगरानियां एतद्द्वारा खारिज की जाती है और राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 29–5–2006 यथावत रखा जाता है। आदेश की एक एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	